

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 26, 2015/भाद्र 4, 1937

No. 285]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 26, 2015/BHADRA 4, 1937

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 18 अगस्त, 2015

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरआई /11/101/ 2015.—बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद और केन्द्र सरकार के पूर्व-अनुमोदन से इसके द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी करता है, अर्थात् :-

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमा की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत अध्यर्पण (सेशन्स) 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 तक के वर्ष के दौरान बीमा संलग्नता (अटैचिंग) के संबंध में 5% होगा।

धारा 101ए(4) में यह व्यवस्था है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत एक अधिसूचना के द्वारा भी इस धारा के अधीन लेन-देन करने हेतु अपेक्षित पुनर्बीमा के किसी भी व्यवसाय के संबंध में शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 101बी के अधीन गठित सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद उक्त अधिनियम की धारा 101ए का अनुपालन करते हुए इसके द्वारा "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" को पुनर्बीमा अध्यर्पणों (सेशन्स) के लिए प्रतिशत और शर्तें विनिर्दिष्ट करता है।

वर्ग	बीमित राशि में अध्येर्पण की सीमा	कमीशन
अग्नि (फायर), आईएआर बड़े जोखिम	750 करोड़ रुपये बीमित राशि (एमडी+एलओपी) प्रति जोखिम	क) तेल और ऊर्जा, विमानन, सामूहिक स्वास्थ्य तथा मोटर टीपी को छोड़कर सभी वर्गों के लिए न्यूनतम 15% ख) सामूहिक स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम 10% ग) मोटर टीपी के लिए न्यूनतम 5% घ) इससे कुछ भी अधिक जीआईसी और बीमा कंपनी के बीच परस्पर सहमत रूप में हो सकता है।
मरीन कार्गो/डीएसयू बीमा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति पॉलिसी/बॉटम/प्रेषण	
मरीन हल	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जलयान	
युद्ध (वार) और एसआरसीसी	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जलयान	
मोटर	कोई सीमा नहीं*	
कामगारों की क्षतिपूर्ति	कोई सीमा नहीं*	
साधारण विमानन हल	कोई सीमा नहीं*	
साधारण विमानन देयता	कोई सीमा नहीं*	
वित्तीय देयता को छोड़कर सभी देयता उत्पाद	25 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी यूएसए सहित/50 करोड़ रुपये प्रति पॉलिसी यूएसए को छोड़कर	
वित्तीय, ऋण और गारंटी व्यवस्थाएँ, बंधक बीमा, विशेष आकस्मिकता पॉलिसियाँ आदि	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति पॉलिसी	
अन्य विविध	कोई सीमा नहीं*	
मशीनरी बिगड़ जाना, बॉयलर विस्फोट और संबंधित लाभों की हानि	100 करोड़ रुपये प्रति जोखिम	5%
ठेकेदार के सभी जोखिम, निर्माण के सभी जोखिम, लाभों की अग्रिम हानि, डीएसयू बीमा	500 करोड़ रुपये प्रति जोखिम (एमडी+एलओपी)	
तेल और ऊर्जा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि प्रति जोखिम	
फ़सल/मौसम बीमा	50 करोड़ रुपये बीमित राशि	
विमानन (एअरलाइन्स)	कोई सीमा नहीं*	औसत शर्तें

लाभ कमीशन

1. कंपनी के कुल वाध्यकारी संविभाग के आधार पर लाभ कमीशन का क्रमिक रूप से न्यून मान (स्लाइडिंग स्केल)
2. लाभ कमीशन देय है यदि हानि अनुपात 78% से कम हो
3. अधिशेष (सरप्लस) की गणना फैक्ट्रिंग के बाद करनी होगी
 - उठाई गई हानि % (इसकी गणना 3 वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर करनी होगी)
 - प्रबंधन व्यय 2% पर
 - लाभ 5% पर
 - कमीशन 15% पर
 - हानि अनुपात 50% से 78% पर।
4. कोई लाभ कमीशन देय नहीं है यदि हानि अनुपात 78% या 78% से अधिक हो।

5. अधिशेष को प्रत्यक्ष बीमाकर्ता और जीआईसी के बीच 50%:50% आधार पर साझा करना होगा।
6. लाभ कमीशन 14% से अधिक नहीं होगा।

*टिप्पणी: ऊपर तारकचिह्नांकित अध्यर्पणों (सेशनस) पर "कोई सीमा नहीं" से युक्त वर्गों के संबंध में "भारतीय पुनर्बीमाकर्ता" अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट प्रति जोखिम राशि से अधिक उसको किसी भी अध्यर्पण के विषय में जोखिम-अंकन की जानकारी सहित तत्काल नोटिस देने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी सीमाओं से अधिक अध्यर्पण (सेशनस) उक्त नोटिस और जानकारी देने के अधीन बाध्यकारी होंगे।

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन. III/4/असा./161/15 (177)]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

Hyderabad, the 18th August, 2015

F. No IRDAI/RI/11/101/2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of the Section 101A of the Insurance Act 1938, the Authority, after consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Insurance Act, 1938 and with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following notification, namely:-

The percentage cessions of the sum insured on each General Insurance Policy to be reinsured with the Indian Reinsurer shall be 5% in respect of insurance attaching during the year 1st April, 2015 to 31st March, 2016.

Section 101A(4) provides that a notification under sub-section (2) of Section 101A of the Insurance Act, 1938 may also specify the terms and conditions in respect of any business of re-insurance required to be transacted under this section and such terms and conditions shall be binding on Indian re-insurers and other insurers.

In pursuance of the power conferred by Section 101A of the Insurance Act, 1938 the Authority in consultation with the Advisory Committee constituted under section 101B of the Act hereby specifies the percentage and terms and conditions for the reinsurance cessions to the "Indian Reinsurer" in compliance with section 101A of the Act.

Class	Limit of cession in sum insured	Commission
Fire, IAR Large Risks	Rs 750 crores sum insured (MD+LOP) per risk	a) Minimum 15% for all classes except Oil & Energy, Aviation, Group Health and Motor TP b) Minimum 10% for group health. c) Minimum 5% for Motor TP d) Anything over and above this can be as mutually agreed between GIC and the Insurance Company.
Marine Cargo/DSU Insurance	Rs 50 crores sum insured per policy/bottom/sending	
Marine Hull	Rs 50 crores sum insured per vessel	
War & SRCC	Rs 50 crores sum insured per vessel	
Motor	No Limit*	
Workmen's Compensation	No Limit*	
General Aviation Hull	No Limit*	
General Aviation Liability	No Limit*	
All Liability products excluding financial liability	Rs 25 crores per policy including USA/ Rs 50 crores per policy excluding USA	
Financial, Credit and Guarantee Lines, mortgage insurance, special contingency policies etc.	Rs 50 crores sum insured per policy	
Other Miscellaneous	No Limit*	

Machinery Breakdown, Boiler Explosion and related loss of profits	Rs 100 crores per risk	
Contractor's All Risks, Erection All Risks, Advance Loss of Profits, DSU Insurance	Rs 500 crores per risk (MD+LOP)	
Oil & Energy	Rs 50 crores SI per risk	5%
Crop/Weather Insurance	Rs 50 crores SI	15%
Aviation (Airlines)	No Limit*	Average Terms

Profit Commission

1. Sliding scale of Profit commission based on the total obligatory portfolio of the company
2. Profit commission is payable if Loss Ratio is less than 78%
3. Surplus to be calculated after factoring
 - Incurred loss % (to be worked at the end of 3 Financial years)
 - Management Expenses at 2%
 - Profit at 5%
 - Commission at 15%
 - Loss Ratio at 50% to 78%
4. No profit commission is payable if the loss ratio is equal to or more than 78%.
5. Surplus to be shared between the direct insurer and GIC on 50% : 50% basis.
6. Profit commission shall not exceed 14%

* **Note:** In respect of classes with "No Limit" on cessions marked by an asterisk above, the "Indian Reinsurer" may require the ceding insurer to give immediate notice with underwriting information of any cession to it exceeding an amount per risk specified by it. Cessions in excess of such limits will be binding subject to the notice and information been given.

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III /4/Ext./161/15(177)]